कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 208 / 2 ई0व0भू0 दिनांक जनवरी, 28, 2017

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

विषयः– हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या 10042 / 2015)

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा जारी ईडीएस. दिनांक 10.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत, अल्मोडा को सम्बोधित है। सन्दर्भित पत्र में बांछित 5 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Short narrative of the Project does not give adequate information about the projects.	Adequate information regarding the project is given in Justification. A copy of revised justification has been uploaded in part I and hard copy is enclosed herewith.
2	Starting and end point of the proposed road is not marked on the SOI topo sheet uploaded in part I.	Starting point Malla paya and end point village Harap has been mentioned in SOI topo sheet and uploaded in Part I.
3	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I regading prior approved case is not found in part !.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya Motor road . Past information regarding prior approval has been uploaded in designated column of Part I. Hard copy is inclosed herewith for reference.
4	The muck disposal is proposed with in RoW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced google map. Geo- referenced map showing co-ordnates of all points is being uploaded again in part I.
5	Part I, II,III. IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	It will be provided by Nodal Officer 's Office or State Govt.

अतः तद्नुसार सूचना अपने स्तर से upload कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

परियोजना का औचित्य

शासनादेश संख्या 2490/111(2)/ 08–61 (प्रा.आ.)/ 2007 दिनांक 25.07. 2008 द्वारा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि0मी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 473.11 लाख के लिए प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा विकास खंड, गरूड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/06/150/ 2005/एफसी./ 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी. आई.–1047/7–1–2006/600/ (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं सर्वेक्षण उपरान्त दाबू हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि0मी0 आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप ग्रामसभा सिमगढ़ी विकास खंड गरूड़ के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जनपद बागेश्वर एवं सीमान्त जनपद चमोली की सीमा में स्थित है और अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं घोड़े खच्चरों के माध्यम से ढुलान व्यय अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ना ही कोई कर्मचारी इन दूरस्थ क्षेत्र में अपनी सेवायें देने को तैयार होते हैं जिससे यह क्षेत्र शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा में काफी पीछे है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरूड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क होने के साथ ही महत्वाकांशी 108 चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इस मार्ग के निर्माण से होने वाले लाभ का विस्तृत सांख्यकीय विवरण प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विवरण में दिया गया हैं। इस मार्ग के संरेखण में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कुल 6.06 है0 वन भूमि एवं 417 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है, मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारो की नाम भूमि के अलावा समस्त भूमि वन भूमि की श्रेणी में ली गयी है और कास्तकारों के पास सीमित मात्रा में नाप भमि होने के कारण जनहित की योजनाओं के लिए वन भूमि उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर वन भूमि की स्वीकृति औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

संख्या–जी0आई0– 1047 /7–1–2006–600(1151)/2005.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2006.

विषयः– जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पयाँ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–3731/1जी–1155 (बागे0) दिनांक 03–03–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पयाँ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/150/2005/एफ.सी./2991 दिनांक 20–02–2006 से दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते है–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 9.80 हे0 अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयाक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व पेक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः-जी0आई0:- 1047 /7-1-2006-600(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।